

झारखण्ड सरकार  
योजना-सह-वित्त विभाग  
(वित्त प्रभाग)



प्रेषक,

अविनाश कुमार सिंह,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,  
सभी विभागाध्यक्ष,  
सभी उपायुक्त,  
सभी कोषागार / उप कोषागार पदाधिकारी,  
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 4/10/19

विषय : Online उपयोगिता प्रमाण पत्र की व्यवस्था लागू करने के संबंध में।

महाशय/महाशया,


निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि योजना-सह-वित्त विभागीय पत्रांक 1811/वि० दिनांक 08.07.2019 के माध्यम से सूचित किया गया है कि दिनांक 01.09.2019 के प्रभाव से राज्य में Online उपयोगिता प्रमाण पत्र की व्यवस्था लागू करना प्रस्तावित है।

उक्त के क्रम में प्रशिक्षणोपरांत दिनांक 20.07.2019 से 31.08.2019 तक Testing (UAT) के लिए Utilization Certificate Module को खुला रखा गया था एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के Online generation में कठिनाई उत्पन्न होने पर PMU कोषांग, योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) से संपर्क करने का अनुरोध किया गया था।

वर्णित प्रसंग में सूचित किया जाता है कि दिनांक 01.09.2019 से राज्य में उपयोगिता प्रमाण पत्र की Online व्यवस्था को लागू कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि विभागीय पत्रांक 1811/वि० दिनांक 08.07.2019 के साथ संलग्न Flow chart के आलोक में Utilization Certificate Module में उपयोगिता प्रमाण पत्र को Online generate करते हुए महालेखाकार को समायोजित करना सुनिश्चित किया जाये एवं अब से उपयोगिता प्रमाण पत्र को Manually महालेखाकार को प्रेषित नहीं किया जाय।

विश्वासभाजन,



(अविनाश कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार


सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग

तृतीय मंजिल, झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, राँची-834004

ज्ञापक : 2937

राँची, दिनांक : 25/10/19

प्रतिलिपि : मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, JAPIT/निदेशक, JSAC/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, JCNL/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, ABVIL/सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/श्री अजीत कुमार महथा, वरीय सचिवालय सहायक/प्रोग्रामर/हार्डवेयर स्पेशलिस्ट, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग/प्रोजेक्ट मैनेजर, UID Cell / श्री देशबन्धु मिश्रा, परामर्शी, SeMT को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

  
(विकास कुमार)

सरकार के अवर सचिव।